राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

कमांकःप.9(6)शिक्षा–5/यूनिटकास्ट/2015 दिनांक 18-11-15

RTE
23/11/2015

निदेशक
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

विषयः– आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सत्र 2015–16 में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में।

सन्दर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु सत्र 2015–16 में नवप्रवेशित एवं सत्र 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में प्रवेशित तथा कमोन्नति के बाद सत्र 2015–16 में अध्ययनरत बालकों की फीस का पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालयों का किया जाना है , बालकों के भौतिक सत्यापन के पश्चात गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in)पर प्रविष्टि किया जाना है तथा विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सही पाये जाने के उपरान्त विद्यालय द्वारा क्लेम बिल जनरेट कर उसकी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित बीईईओ/डीईओ(मा) कार्यालय में पंजीकृत (एडी)डाक से प्रेषित किये जाने के बाद पुनर्भरण किया जाना है । गैर सरकारी विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के संबंध में पूर्व में पत्र कमांक प.9(1)शिक्षा–5/2010 पार्ट दिनांक 26.12.2014 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिकमण में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते है :–

1. वर्तमान में फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक लगी हुई है। अतः गैर सरकारी विद्यालयों को राहत देते हुए शैक्षिक सत्र 2015–16 में अध्ययनरत बालकों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण किया जाएगा । यह पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2014–15 में किए गए पुनर्भरण अथवा सत्र 2015–16 में सत्यापित फीस में से जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की शेष राशि का समायोजन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर किया जाएगा ।
2. जिन गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2015–16 में पहली बार निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हुआ है लेकिन ये विद्यालय शैक्षिक सत्र 2014–15 अथवा उसके पूर्व के वर्षो से संचालित है, ऐसे विद्यालयों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण भी शैक्षिक सत्र 2014–15 में विद्यालय की सत्यापित फीस अथवा 2015–16 में सत्यापित फीस अथवा फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस में से जो भी कम है के आधार पर किया जाएगा तथा पुनर्भरण की शेष राशि का समायोजन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर किया जाएगा ।
3. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जो शैक्षिक सत्र 2015–16 में ही प्रारम्भ हुए है उन विद्यालयों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण सत्र 2015–16 की सत्यापित फीस के आधार पर किया जाएगा तथा इनकी शेष राशि का समायोजन फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित करने तथा न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर किया जाएगा ।

4. ऐसे विद्यालय जो किसी एक माध्यम (हिन्दी/अंग्रेंजी) में शैक्षिक सत्र 2014–15 या इससे पूर्व के वर्षो से संचालित है तथा अतिरिक्त माध्यम की मान्यता शैक्षिक सत्र 2015–16 में ली है । इन विद्यालयों के प्रथम माध्यम में अध्ययनरत बालकों की फीस का अन्तरिम पुनर्भरण शैक्षिक सत्र 2014–15 में विद्यालय की सत्यापित फीस अथवा 2015–16 में सत्यापित फीस अथवा फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस में से जो भी कम है, के आधार पर किया जाएगा । इनकी शेष राशि का समायोजन फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित करने तथा न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर किया जाएगा ।
5. किसी भी दशा में फीस का पुनर्भरण यूनिट कास्ट की राशि 17,582/– रू प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।
6. सत्र् 2014–15 में गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 107/–रू प्रतिबालक प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन् सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किस्त के साथ पुनर्भरण किया जाएगा।
7. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें विद्यालय में आर टी ई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के बाद ही द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाएगा।

18/XI/15

(नसीरूद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/18882/15–16/ 194 दिनांकः– 30-11-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
4. निजी सचिव, उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त निर्देश आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को प्रसारित करने का श्रम करावें ।
6. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) .... ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) .... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त निर्देश प्रसारित करें ।

(अजीत सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

RTE 27/11/15

क्रमांक प. 9(6) शिक्षा–5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक: 23/11/15

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :– आरटीई अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सत्र 2015–16 में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालको की फीस के पुनर्भरण के संबंध में।

सन्दर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.11.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.11.15 के बिन्दु संख्या 6 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

6. सत्र 2015–16 में गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 150/– रूपये प्रति बालक प्रति वर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किश्त के साथ पुनर्भरण किया जाएगा।

अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

23/XI/15
(नसीरूद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/18882/15–16/ 195 दिनांकः– 30-11-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
4. निजी सचिव, उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त निर्देश आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को प्रसारित करने का श्रम करावें ।
6. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) .... ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) .... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त निर्देश प्रसारित करें ।

(अजीत सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर